(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 66/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

तारीख रजू : 07.10.2024 निर्णय दिनांक : 22.10.2024

1. राधेश्याम पुत्र फूलचद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।

.....प्रार्थी

बनाम

1. मातादीन पुत्र रूडा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड,
2. रामकरण पुत्र रूडा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड हाल आबाद हनुमान मंदिर कालका जी.डी.डी.ए. फ्लैट दिल्ली।
3. विधा देवी पुत्री रुडा पत्नी रमेश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड हाल आबाद कुल्फी वाली गली पहाडगंज दिल्ली।
4. शांति देवी पत्नी रूडा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड (मृतक)
5. सोहन पुत्र ग्यारसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम वडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।
6. मोहनलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।
7. राजेन्द्र पुत्र ग्यारसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।
8. कपील कुमार उपाध्याय आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली–बहरोड पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।
10. सब रजिस्ट्रार महोदय सबरजिस्ट्रार कार्यालय पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।

.....अप्रार्थीगण

11. महावीर प्रसाद पुत्र फूलचंद जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बड़नगर, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।
12. मदन लाल पुत्र फूलचंद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।

.....तरतीबी अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 233 आर टी एक्ट विरूद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी पावटा प्रकरण मदनलाल बनाम मातादीन मुकदमा नंबर 103/2021 दावा घोषणा एव दुरूस्ति रिकॉर्ड बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री अनुप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जोगेन्द्र बंसल,श्री हंसराज रावत अधिवक्ता अप्रार्थी नम्बर 01 की ओर से।

निर्णय दिनांक– 22.10.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष प्रकरण उनवानी मदनलाल बनाम मातादीन विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री जोगेन्द्र बंसल, श्री हंसराज रावत ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस करना जाहिर किया।
3. वकील प्रार्थी अनुपस्थित रहे। बहस अप्रार्थी संख्या 01 सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तरतीबी अप्रार्थी संख्या 12 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली के समक्ष वाद बउनवानी मदनलाल बनाम मातादीन वगैरहा प्रकरण संख्या 53/2020 इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नबर 1623/1.00 वाके मौजा वीर तेजाजी नगर एवं आराजी हाल खसरा नंबर 1663/0.58, 1665/0.31, 1666/0.03 वाके मौजा बडनगर तहसील पावटा मे स्थित है। उपरोक्त आराजी के खातेदार तरतीबी अप्रार्थी संख्या 12 के पिता फूलचंद पुत्र श्योनारायण थे जिनकी मृत्यु उपरांत उनके वारिस प्रार्थी राधेश्याम व तरतीबी अप्रार्थी महावीर प्रसाद मदनलाल पुत्रान फूलचंद बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हुए। अप्रार्थी सख्या 01 लगायत 07 के बुजुर्गान ग्यारसीलाल रूडाराम पुत्रान श्योचंद उर्फ श्योनारायण का उपरोक्त भूमि से कोई लेना देना नही है। दौराने गत सैटलमेंट उन्होने उक्त भूमि स्वय के नाम दर्ज करवा ली इसलिए रिकॉर्ड दुरूस्त कर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली द्वारा सम्मन जारी होने पर अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा उपस्थित आए तथा तरतीबी अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जी शर्मा उपस्थित आए तदोपरांत पत्रावली न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली से न्यायालय उपखंड अधिकारी पावटा में स्थानांतरित होने के उपरांत अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किये तदोपरांत दिनांक 09.07.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रकरण में आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की शामिल खातेदारी की भूमि है तथा साबिक रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज चला आ रहा है तथा वाद कारण के अभाव में वाद चलने योग्य नही है एवं मिस ज्वाइंडर एव आफॅ नैसेसरी पर्सन के कारण वाद चलने योग्य नही है। इसलिए वाद खारिज फरमाया जावें। जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रकरण में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण में विचाराधीन आराजी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थी व उनके बुजुर्गान का नाम गत सैटलमेंट में दर्ज हो गया जिस हेतु रिकॉर्ड दुरूस्ति का वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा प्रकरण मे सभी आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में कही हवाला नही दिया गया कि उक्त वाद प्रस्तुत करने का कारण प्रार्थी को करने का नही होगा एवं किन व्यक्तियों को वाद में पक्षकार नही बनाया गया अथवा अनावश्यक पक्षकारान को जोडा गया है। अप्रार्थी को समस्त एतराज जवाब दावे में प्रस्तुत करने चाहिए। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर वाद खारिज नही हो सकता। जिस पर प्रकरण मे दिनाक 20.08.2024 को उभयपक्षो की बहस सुनने के उपरात पत्रावली वास्ते आदेश नीयत की गई परंतु पत्रावली में दिनाक 19.09.2024 तक अधीनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश पारित न कर पुन वास्ते निर्णय हेतु आगामी तारीख पेशी 24.09.2024 नीयत की गई एवं 24.09.2024 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहने पर आगामी तारीख पेशी नीयत 08.10.2024 नीयत की गई। किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा वाद में बहस सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय को 01 माह की अवधि में प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर करना चाहिए एवं प्रार्थना पत्र का निस्तारण एक माह की अवधि मे नही होने पर प्रकरण पुनः बहस हेतु नीयत किया जाना चाहिए परतु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत पत्रावली पुनः बहस में लगाने की बजाय प्रकरण निर्णय हेतु सुरक्षित रख रखा है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि में स्वयं के नाम रिकॉर्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए भूमि को पावटा क्षेत्र के प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति के रिश्तेदार को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया एवं अब उपरोक्त राजनैतिक दबाववश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रकरण में विधि विरूद्ध जाकर उपरोक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कराने की फिराक में है। प्रार्थी ने अनेको बार वर्तमान पीठासीन अधिकारी के निजी चैंबर में अप्रार्थीगण को राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्तियो के साथ पिछले कुछ दिनों से आते जाते देख रहे है। इससे जाहिर है कि वर्तमान पीठासीन अधिकारी स्थानीय राजनैतिक व्यक्तियों के दबाव मे प्रार्थी का उपरोक्त वाद खारिज करने की फिराक मे है। अप्रार्थीगण के आचरण से प्रार्थी को स्पष्ट है कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतैई उम्मीद नही है तथा प्रकरण को यदि दिगर न्यायालय मे हस्तानान्तरित नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से वंचित होना पडेगा।

4. अप्रार्थी सं0 01 की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल कयास के आधार पर बिना किसी प्रावधान के पेश कर दी है। प्रार्थी ने झूठे आरोप लगाये है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में विधिवत् सुनवाई की जा रही है ये प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब करवाने हेतु पेश किया है। यदि उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

5. अप्रार्थी संख्या 01 के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी संख्या 01 को गौर से सुनने पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थी ने प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है तथा वकील अप्रार्थी ने भी अपनी बहस में जाहिर किया कि यदि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त उनवानी प्रकरण मदनलाल बनाम मातादीन मुकदमा संख्या 103/2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को स्थानांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को शीघ्र मूल पत्रावली प्रेषित करें। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें। उभयपक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष दिनांक 05.11.2024 को उपस्थित होवें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी पावटा/कोटपूतली को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़